की कम / र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	तारीख सहित
	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

प्रधानी बहाली वाद सं0 04/2016–17

आवेदक– चेतन टुडू

बनाम

16 आना रैयत मौजा– अंगुढ़िया

आपत्तिकर्त्ता– बरसा टुडू

आदेश

28-3-18

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 447/रा0 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दिनांक 14.09.2016 को प्रारम्भ करते हुए मौजा के 16 आना रैयतो को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित किया गया। दिनांक 27.10.2016 को आपत्तिकर्त्ता बरसा टुडू पे0 सुधीर टुडू सा0 अंगुढ़िया ने आपत्ति आवेदन दाखिल किया जिसे पुनः जाँच हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजा गया।

सुलभ न्याय प्रदान हेतु इस वाद की सुनवाई शिविर न्यायालय, पतना में किया गया। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अुगुढ़िया एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के बहाल प्रधान मेरे पिता जी स्व0 सुधीर टुडू थे। जिनकी मृत्यु हो चुका है एवं मौजा रिक्त है। आवेदक पड़ा लिखा है एवं प्रधानी कार्य चलाने में योग्य है तथा वंशानुगात प्रधान होने का अधिकार है। अतएवं मौजा अंगुढ़िया के रिक्त प्रधान पद पर बहाल करने हेतु प्रार्थना किया है।

आपत्तिकर्त्ता का कहना है कि मौजा अंगुढ़िया के पूर्व प्रधान मेरे पिता जी थे जिनकी मृत्यु दिनांक 18.11.2015 को हो गई है। आपत्तिकर्त्ता पूर्व प्रधान का जेष्ठ पुत्र है तथा उत्तराधिकारी है, क्योकि सर्व प्रथम अधिकार जेष्ठ पुत्र का होता है। आपत्तिकर्त्ता के पिता जी ने दो शादी किया था जिसंमे प्रथम पत्नी से आपत्तिकर्त्ता वरसा टुडू एवं पगन टुडू हुए एवं दुसरी पत्नी से आवेदक चेतन टुडू व ताला टुडू हुए। नियमानुसार दुसरी पत्नी का कोई अधिकार नही है। और ना ही उनके पुत्र कों अपने पिता के किसी भी सम्पति पर किसी तरह का अधिकार नही है। आवेदक शराब पीता है एवं हर समय शराब के नशे में डुबा रहता है। मौजा के 16 आना रैयतो ने भी आपत्तिकर्त्ता बरसा टुडू को अंपने मौजा के प्रधान मानते है, एवं उक्त मौजा के रैयतो के बीच काफी लोकप्रिय है, तथा अपने पिता के साथ प्रधानी कार्य में भी हाथ बटाता था। इसे प्रधानी कार्य का अनुभव प्राप्त है। ग्रमीणों के सुख–दुख, जन्म–मरण, शादी–विवाह वगैरह में हमेशा साथ देता है तथा ग्रमीणो की भावना का कद्र करता है। किसी भी कार्यक्रम मे खुलकर भांग लेता हे। आपत्तिकर्त्ता वरसा टुडू प्रधान बनने योग्य है। अतएव आवेदक चेतन टुडू के आवेदन पत्र को खारीज करते हुए आपत्तिकर्त्ता को मौजा अंगुढ़िया के प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना किया है।

अंचल अधिकाारी, बरहरवा के पत्रांक सं0 447/ रा0 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा अंगुढ़िया के पूर्व प्रधान सुधीर टुडू थे जिसकी मृत्यु दिनांक 18.11.2015 को हो गई है। प्रधान के द्वारा समय पर लगान जमा किया जाता था जो वर्ष 2015–16 तक लगान चुक्ति है। मौजा के 16 आना रैयतों ने आवेदक चेतन टुडू को प्रधान बनाना चाहते आवेदक पड़ा लिखा युवक है अतः मौजा अंगुढ़िया के प्रधान चेतन टुडू को प्रधानी बहाली हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

आपतिकर्त्ता के द्वारा दाखिल किये गये आपत्ति के आलोंक में पुनः अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1403/रा0 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा अंगुठिया एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान

Scanned with CamScanner

सुधीर टुडू ने अपने जीवन काल में दो शादी किया था, जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है।

सुधीर टुडू

बेदलो सोलोनी मरांडी (पहली पत्नी) — बरसा टुडू (आपत्तिकर्त्ता)

पाकु मुर्मू (दुसरी पत्नी) — चेतन टुडू (आवेदक)

उपरोक्त वंशावली देखने से प्रतीत होता है कि बरसा टुडू पूर्व बहाल प्रधान की पहली पत्नी का संतान है एवं चेतन टुडू दुसरी पनी का संतान है। आवेदक चेतन टुडू पड़ा लिखा इंटर पास है एवं आपतित्तों बरसा टुडू सातवा पास तक ही पढ़ा लिखा है। मौजा के 16 आना रैयतो मे से कुछ ग्रामीण आवेदक चेतन टुडू को प्रधान बनाना चाहते है जबकि कुछ ग्रमीण बरसा टुडू को प्रधान बनाना चाहते है। जाँच के समय भी चेतन टुडू के पक्ष में अधिक लोग थे। चेतन टुडू एक पढ़ा लिखा बेरोजगार है जो प्रधान के कार्य को जानता है एवं समाजिक रिति रिवाज में भी ग्रामीणों के साथ रहता है।

उभय पक्षों के द्वारा निम्न लिखित कागजात दाखिल किया है।

आवेदक के ओर से दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

1. पी0 ए0 वाद सं080/90–91 प्रधानी पट्टा की छाया प्रति।

आपतिकर्त्ता के द्वारा दाखिल कागजात की सूची।

1. आधर कार्ड सं0 668179853374 एवं मतदाता पहचान पत्र सं0 KKV6356836 की छाया प्रति।
2. मुखिया ग्राम पंचायत पथरिया के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र की प्रति।
3. पी0 ए0 वाद सं080/90–91 प्रधानी पट्टा की छाया प्रति।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक एवं आपतिकर्त्ता दोनो ही पूर्व प्रधान के पुत्र है। अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1403/रा0 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में वर्णित वंशावली के आधार पर आपतिकर्त्ता बरसा टुडू पूर्व प्रधान की पहली पत्नी के ज्येष्ट पुत्र है जबकि आवेदक दुसरी पत्नी के पुत्र है। चूँकि आपतिकर्त्ता पूर्व प्रधान के पहली पत्नी के ज्येष्ट पुत्र है एवं नियामानुसार ज्येष्ट पुत्र का सर्वप्रथम अधिकार बनता है। अतः आवेदक चेतन टुडू के द्वारा दायर प्रधानी बहाली आवेदन को खारीज किया जाता है, तथा आपतिकर्त्ता बरसा टुडू पिता स्व0 सुधीर टुडू सा0+ मौजा अंगुठिया, थाना– कोटालपोखर जिला– साहेबगंज को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत मौजा अंगुठिया के प्रधान पद पर नियुक्त किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे काबुलियत दाखिल करें ततपश्चात प्रधानी पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

28.5.18 आवेदक उपस्थापित। नवनियुक्त प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Barsa Tudu